झारखण्ड सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड,
नामकुम, राँची।
फोन नं0–0651-2261000, 2261856, 2261002 मेल आई0डी0–nrhmjharkhand3@gmail.com

संचिका सं0 166/NTCP/2019, पत्रांक 93 /NCD दिनांक 24.04.2020

प्रेषक,

अभियान निदेशक,

एन.एच.एम., झारखण्ड।

सेवा में,

सभी उपायुक्त, झारखण्ड
वरीय पुलिस अधीक्षक राँची, पूर्वी सिंहभूम एवं धनबाद
सभी पुलिस अधीक्षक (रेल सहित), झारखण्ड
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, झारखण्ड

विषय : कोरोना वायरस (COVID-19) के विश्वव्यापी महामारी से बचाव/रोकथाम हेतु जिले में तम्बाकू उत्पाद पान–मसाला, गुटका, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का इत्यादि) व सुपारी की बिक्री तथा सेवन एवँ सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को प्रतिबंधित करने संबंधी आदेशों के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग : (i) सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश सं0 40–3/2020 – DM-1 (A) दिनांक 15.04.2020
(ii) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार का आदेश संख्या 267/HS राँची, दिनांक 21.04.2020

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन आदेशों द्वारा कोविड–19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों (पान–मसाला, गुटका, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का इत्यादि) व सुपारी की बिक्री /सेवन एवँ सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उक्त के आलोक में जन स्वास्थ्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से निम्नांकित दिशा–निर्देश दिये जाते है–

(1) झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गए, उपर्युक्त निदेशों के आलोक में सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों यथा सिगरेट, बीडी, हुक्का, पान–मसाला /गुटका, जर्दा एवं सुपारी आदि की बिक्री/भंडारण एवँ सेवन आदि पर पूर्ण प्रतिबंध संबंधित आदेश का प्रभावकारी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु प्रत्येक जिले में कोटपा–2003 के अनुपालन के लिए गठित त्रिस्तरीय छापामार दस्ता द्वारा नामित प्राधिकृत पदाधिकारियो से नियमित छापामारी कराया जाए।

(2) कोविड–19 तथा अन्य गंभीर संक्रामक बीमारियों के प्रसार को रोकने हेतु तम्बाकू उत्पादों का सेवन कर या किसी अन्य प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को प्रभावी रुप से निषिद्ध किये जाने हेतुः–

(क) सभी सरकारी/गैर–सरकारी कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/स्वास्थ्य संस्थानों एवं अन्य संस्थानों के सभी प्रमुख स्थान पर इस आशय के बोर्ड/दीवार–लेखन का प्रदर्शन कराया जाय।

(ख) सभी कार्यालय भवनों/संस्थानों के मुख्य द्वार पर संलग्न प्रारुप के अनुसार बोर्ड/फलेक्स का प्रदर्शन कराया जाय। साथ ही मुख्य द्वार पर एक कचरे का डिब्बा (Dustbin)रखा जाय जिसमें यदि किसी व्यक्ति के पास तम्बाकू उत्पाद हो तो वैसे व्यक्ति उसका निस्तारण कर सके।

(ग) अन्य सभी सार्वजनिक स्थानों (यथा गली–सड़क, चौक–चौराहा एवं अन्य) पर यथा संभव जन जागरुकता हेतु "आम सूचना" (फलेक्स/टीन प्लेट/अन्य माध्यम के द्वारा) प्रदर्शित कराया जाय।

(घ) सभी सरकारी कार्यालय में एक पदाधिकारी को नामित किया जाय, जिनके पास इन आदेशों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई जा सके। नामित पदाधिकारी नियमानुसार उल्लंघनकर्त्ता को जुर्माना करने/अन्य विधिसम्मत कारवाई करने हेतु प्राधिकृत होंगे।

cont

(ड़) अर्थदण्ड के रूप में वसूली गई राशि को वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए शीर्ष, (मुख्य शीर्ष –0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,उपमुख्य शीर्ष–04 लोक स्वास्थ्य,लघु शीर्ष–104 दण्ड एवं शुल्क, उपशीर्ष–02, जिसे अर्थदण्ड/जुर्माना रसीद के नीचले भाग में दर्शाए गए में जमा किया जाना है एवं, इससे संबंधित प्रतिवेदन जिला नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) को उपलब्ध करायी जानी हैं ।

विदित हो कि दिनांक 02.05.2019 को मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में राज्य तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में COTPA-2003 की सभी धाराओं के प्रभावकारी अनुपालन हेतु जिला अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर पर गठित त्रिस्तरीय छापामार दस्ते एवं सभी थाना प्रभारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत प्रति माह न्युनतम 4 चालान/अर्थदण्ड करने से संबंधित स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड सरकार के आदेश सं0 संचिका – 186/NTCP /2019/166 दिनांक 16.08.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

अतः कोविड–19 महामारी के परिपेक्ष्य एवं आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दिशा–निर्देशों का प्रभावकारी अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाय तथा उल्लंघनकर्त्ताओं को COTPA–2003 की धारा 4,5,6(a), 6(b) 7 तथा भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की सुसंगत धाराओं यथा 188, 268, 269, 270 एवं 278 के अधीन कारवाई सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश देना चाहेगें।

विश्वासभाजन

24/4/20

अभियान निदेशक,
एन0 एच0 एम0, झारखण्ड

ज्ञापांक 93 / NCD नामकुम, राँची, दिनांक 24.04.2020

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित एवं निर्देशित है कि अपने स्तर से इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि : सभी जिला नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP), झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित एवं निर्देशित है कि अपने स्तर से उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह राज्य एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/4/20

अभियान निदेशक,
एन0 एच0 एम0, झारखण्ड